रा.व.स. 148/14

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 16 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट

1. बाबूराम पुत्र हरदास
2. नाथीदेवी पत्नी हरदास
3. माहीगा पुत्र देवा
4. लक्ष्मणा पुत्र देवा
5. माला पुत्र देवा
6. केसरा पुत्र देवा जाति कलबी निवासी लूणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1. पाता पुत्र वदा
2. नारणा पुत्र वदा
3. सांवला पुत्र वदा
4. गंगा पुत्र वदा
5. धर्मो पत्नी वदा जाति कलवी निवासी लूणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी
6. शाखा प्रबन्धक एस बी बी जे शाखा गुड़ामालानी
7. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा गुड़ामालानी
8. तहसीलदार गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 148/2014 बअनवान पाता बनाम बाबूराम निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.06.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री नारायण कुमावत अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंटस बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 11.07.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश हुआ। वादग्रस्त आराजी के खेत खसरा संख्या 56 रकबा 03.03 बीघा, खसरा संख्या 130 रकबा 60.05 बीघा, खसरा संख्या 187 रकबा 43.05 बीघा, खसरा संख्या 254 रकबा 51.19 बीघा, खसरा संख्या 455 रकबा 19.06 बीघा, खसरा संख्या 544 रकबा 20.01 बीघा, खसरा संख्या 553 रकबा 26.07 बीघा, खसरा संख्या 612 रकबा 13.19 बीघा तथा खसरा संख्या 633 रकबा 27.12 बीघा कुल रकबा 273.04 बीघा का मौजा लूणवा जागीर पटवार क्षेत्र लूणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी में वादीगण का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 का 1/2 हिस्सा है। राजस्व रेकर्ड में हम पक्षकारान के हिस्सा पृथक पृथक अंकित नहीं है उपरोक्त हिससो के अनुसार हम पक्षकार मौके पर काबिज है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपरोक्त वर्णित धारा के अंतर्गत दावा पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण के नाम से सम्मन जारी किया गया परन्तु अपीलांटगण को हस्तगत वाद का कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ जिस कारण अपीलांटगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। प्रकरण की जानकारी नहीं होने के कारण अपीलांटगण अपनी ओर से पैरवी हेतु

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील नियुक्त नहीं कर सके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2016 को पारित की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेसपोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलांटगण के अधिवक्ता की पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कैम्प कोर्ट में पारित की गई जबकि कैम्प कोर्ट में आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर ही निर्णय पारित किया जा सकता है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांट को अपनी शहादत पेश करने कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि आलोच्य आदेश प्रशासन गांवों के संग अभियान के दोरान पारित किया गया है जिसकी कोई जानकारी अपीलांट को नहीं दी गई थी। अर्सा 05 दिन पूर्व जब हल्का पटवारी द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अपीलांट को सूचना दी गई जिस पर अपीलांटगण को अपने अधिकार अंधकार मय लगे तब राजस्व रेकर्ड की जानकारी प्राप्त की तब उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जिस पर उक्त निर्णय व डिक्री की दिनांक 15.02.2017 को नकलें मांगी गई। जो नकले तैयार होकर दिनांक 15.02.2017 को प्राप्त हुई जिस पर सम्यक तत्परता से यह अपील पेश की जा रही है। अपील को पेश करने में हुई देरी सद्भाविक है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की अनुपस्थिति में कैम्प कोर्ट में पारित की गई। पत्रावली को कैम्प कोर्ट में सुनवाई बाबत नियत करने की सूचना अपीलांट को नहीं दी गई। वकील अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में की गई देरी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सद्‌भाविक है। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। जिससे अपीलांट को निर्णय की जानकारी समय पर न हो सकी। अतः वकील अपीलांट के कथन पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित समझते है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान अपीलांटगण के अधिवक्ता की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम सम्मन जारी किया गया जिस पर तामील की पर्याप्त रिपोर्ट प्रतिवेदित है, तामील करवाने के बावजूद भी अपीलांटगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं रहे। हस्तगत अपील में अपीलांट द्वारा हिस्से को लेकर कोई आपति नहीं की गई जबकि अपीलाधीन निर्णय से हिस्से की घोषणा की गई है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट को नाहय तंग व परेशान करने की नीयत से हस्तगत अपील पेश की गई। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 148/2014 बअनवान पाता बनाम बाबूराम निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.06.2017 को यथावत रखा जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी को निर्देशित किया जाता है कि प्राथमिक डिक्री की पालना में उभयपक्षकारान की उपस्थिति में बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं मौके पर भेजकर प्राप्त कर उभयपक्षकारान की विभाजन प्रस्ताव पर आपतियों का निस्तारण कर विधि सम्मत अंतिम डिक्री पारित करे।

(प्रवीण अपेलीनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 11.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर